न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 45/2025

प्रार्थीगण :-

1. खुमाराम पुत्र जोगाराम
2. चन्द्राराम पुत्र जोगाराम
3. चुनीलाल पुत्र जोगाराम
4. पेमाराम पुत्र जोगाराम
5. माधवराम पुत्र मांगीलाल
6. राजूराम पुत्र मांगीलाल जातियान खारडिया (सीरवी) निवासीगण बेरा पीछो वाला, चैनपुरा की ढाणी बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :-

1. बींजाराम पुत्र डाहराम उर्फ डामाराम जाति खारडिया (सीरवी) निवासी बेरा बडवा, चैनपुरा की ढाणी बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :- प्रार्थीगण - श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट
अप्रार्थी सं. 1- स्वयं उपस्थित।
अप्रार्थी संख्या 2-सरकारी पैरोकार

आदेश दिनांकः- 08/09/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बिलाडा चक नं. 3 तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा सं. 4668/1 रकबा 0.5016 हैक्टयर आई हुई है। जो प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारीसुदा व संयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि है। जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शें में मार्क ए.बी.सी.डी.से दर्शित किया गया है। तथा प्रार्थीगण का उक्त खसरे की भूमि पर मौके पर कब्जा काश्त भी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में अंकित मार्क ए.बी.सी.डी. के अनुसार ही है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा को प्रार्थना पत्र का अंग सुमार कर पढा व समझा जावें। राजस्व ग्राम बिलाडा चक नं. 3 तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा सं. 4668 रकबा 0.2427 हैक्टयर आई हुई है, जो अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारीसुदा व कब्जा काश्तसुदा भूमि है जिसे प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में मार्क सी.डी.ई.एफ से दर्शित किया गया है। तथा अप्रार्थी सं. 1 का उक्त खसरे की भूमि पर मौके पर कब्जा काश्त भी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में अंकित मार्क सी.डी.ई.एफ के अनुसार ही है। उक्त खसरे की भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारीसुदा व संयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि खसरा सं. 4668/1 के दक्षिण दिशा में मौके पर स्थित है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा को प्रार्थना पत्र का अंग सुमार कर पढा व समझा जावें। खसरा सं. 4668/1 रकबा 0.5016 हैक्टयर भूमि के मूल खसरा सं. 4668 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा था जो पूर्व में खातेदार मोहनराम पुत्र रामाराम सीरवी हाम्बड हिस्सा 1/2, ढगलाई जोजे विजयसिंह सीरवी काग हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज था खातेदार मोहनराम व ढगलाई ने खसरा सं. 4668 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा का आपसी सहमति से बंटवाडा कर दिया तथा बंटवाडा के अनुसार खसरा सं. 4668 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा में से 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि खातेदार ढगलाई के

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

बंट में व 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि खातेदार मोहनराम के बंट में रखी गयी तथा उक्त बंटवाडा के आधार पर म्यूटेशन संख्या 4253 स्वीकृत किया गया तथा उक्त म्यूटेशन का प्रथम बार इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत् 2031 से 2034 में किया गया। खातेदार ढगलाई द्वारा अपनी बंटसुदा भूमि खसरा संख्या 4668 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भंवरलाल पुत्र मोतीराम सीरवी जांजायत को बैचान की तथा बैचान के आधार पर म्यूटेशन संख्या 2485 स्वीकृत किया गया तथा उक्त म्यूटेशन का प्रथम बार इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत् 2035 से 2038 में किया गया है। भंवरलाल पुत्र मोतीराम सीरवी ने खरीदसुदा भूमि खसरा संख्या 4668 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 01.07.1983 को प्रार्थीगण संख्या 1 से 4 व प्रार्थीगण संख्या 5 से 6 के पिता मांगीलाल को बैचान कर दी तथा उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर म्यूटेशन संख्या 3098 प्रार्थीगण संख्या 1 से 4 व प्रार्थी संख्या 5 से 6 के पिता मांगीलाल के नाम स्वीकृत किया गया तथा उक्त म्यूटेशन का प्रथम बार इन्द्राज जमाबन्दी सम्वत् 2039 से 2042 में किया गया। तब से खरीदसुदा भूमि खसरा संख्या 4668 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा प्रार्थी संख्या 1 से 4 व प्रार्थी संख्या 5 व 6 के पिता मांगीलाल के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज चली आ रही है तथा प्रार्थी संख्या 5 व 6 के पिता मांगीलाल फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 8393 द्वारा मांगीलाल के स्थान पर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में प्रार्थी संख्या 5 व 6 का नाम दर्ज किया गया तथा खरीदसुदा भूमि खसरा संख्या 4668 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा के नये खसरा नम्बर वर्तमान में 4668/1 है। उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 01.07.1983 द्वारा प्रार्थीगण संख्या 1 से 4 व प्रार्थी संख्या 5 व 6 के पिता मांगीलाल ने खसरा संख्या 4621 मिन रकबा 4 बीघा में से 9/16 वां हिस्सा भी विक्रेता भंवरलाल से खरीद किया तथा रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 01.07.1983 में विक्रेता भंवरलाल से प्रार्थीगण संख्या 1 से 4 व प्रार्थी संख्या 5 व 6 के पिता मांगीलाल द्वारा खरीदसुदा भूमि खसरा संख्या 4608 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा व खसरा संख्या 4621/मिन रकबा 4 बीघा में से 9/16 वीं हिस्सा के संयुक्त रूप से पड़ौस उतर में रास्ता, दक्षिण में भबूत जी सीरवी की जमीन, पूर्व में रास्ता व पश्चिम में आप खरीददार की जमीन लिखे हुए है। जिसके अनुसार भी प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारीसुया व संयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि खसरा संख्या 4668/1 रकबा 0.5016 हैक्टेयर की स्थिति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में अंकित मार्क ए.बी.सी.डी. अनुसार है। आनलाईन नक्शे में प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारीसुवा व संयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि संख्या 4668/1 रकबा 0.5016 हैक्टेयर की तरमीम मौके अनुसार व उक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 01.07.1983 में वर्णित पडौस अनुसार नहीं की गयी अर्पित आनलाईन नक्शे में खसरा संख्या 4668/1 के स्थान पर अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारीसुदा व कब्जा काश्तसुदा भूमि खसरा संख्या 4668 की तरमीम कर दी गयी जो कि गलत की गयी, जबकि मौके व रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 01.07.1983 के अनुसार खसरा संख्या 4668६1 की सही तरमीम प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में अंकित मार्क ए.बी.सी.डी. अनुसार व खसरा संख्या 4668 की सही तरमीम प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में अंकित मार्क सी.डी.ई.एफ. के अनुसार होनी चाहिए थी। प्रार्थीगण को उनकी संयुक्त खातेदारी व संयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि खसरा संख्या 4668/1 की आनलाईन नक्शे में की गयी गलत तरमीम की

जानकारी होने पर प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 से सम्पर्क किया तथा खसरा संख्या 4668/1 की आनलाईन नक्शे में की गयी गलत तरमीम के स्थान पर सही तरमीम प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में अंकित मार्क ए.बी.सी.डी. अनुसार दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थीगण के निवेदन को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि इस हेतु अप्रार्थी संख्या 2 सक्षम नहीं है, इस हेतु श्रीमान सक्षम है। इसलिए आनलाईन नक्शे में खसरा संख्या 4668/1 व खसरा संख्या 4668 की की गयी गलत तरमीम के स्थान पर सही तरमीम प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में अंकित मार्क ए.बी.सी.डी. के अनुसार खसरा संख्या 4668/1 व मार्क सी.डी.ई.एफ. के अनुसार खसरा संख्या 4668 की दुरूस्त/सही किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। खसरा संख्या 4668 व 4668/1 की भूमि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 3. तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत होने से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने का माननीय न्यायालय को अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम बिलाडा चक नं. 3 तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 4668/1 रकबा 0.5016 हैक्टेयर व खसरा संख्या 4668 रकबा 0.2427 हैक्टेयर की आनलाईन नक्शे में की गयी गलत तरमीम को दुरूस्त कर सही तरमीम खसरा संख्या 4668/1 रकबा 0.5016 हैक्टेयर की प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में अंकित मार्क ए.बी.सी.डी. के अनुसार व खसरा संख्या 4668 रकबा 0.2427 हैक्टेयर की प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में अंकित मार्क सी.डी.ई.एफ. के अनुसार दुरूस्त/सही किये जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 2 को आदेशित किया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये समन से तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खसरा नंबर 4668 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा में से 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि जो खातेदार मोहनराम के बंट में रखी वो भूमि मोहनराम द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 28.10.1980 को अप्रार्थी सं. 1 व उसके भाई भबूतराम, लालूराम, लादूराम, सुजानराम को बैचान की तथा बैचान के आधार पर म्यूटेशन सं. 5915 स्वीकृत किया तथा खरीदसुदा भूमि प्रथम बार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2052 से 2055 में अप्रार्थी सं. 1 व उसके उपरोक्त भाईयों के नाम दर्ज की गयी। तत्पश्चात खरीदसुदा भूमि खसरा सं. 4668 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा का अप्रार्थी सं. 1 व उसके भाईयों द्वारा आपसी सहमति से बंटवाडा कर दिया तथा मुताबिक बंटवाडा के अनुसार खरीदसुदा भूमि अप्रार्थी सं. 1व उसके भाइ 'लालूराम व लादूराम के बंट में रखी गयी तथा बंटवाडा के आधार पर म्यूटेशन सं 7186 स्वीकृत किया, जिसका प्रथम बार इन्द्राज राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत् 2052 से 2055 में किया गया। अप्रार्थी सं. 1की बंटसुदा भूमि के नये खसरा सं. 4668 रकबा 0.2427हैक्टयर, अप्रार्थी सं. 1 के भाइ 'लादूराम की बंटसुदा भूमि के नये खसरा सं. 4668/2 रकबा 0.0243 हैक्टयर व

CamScanner

अप्रार्थी सं. 1के भाई लालूराम की बंटसुदा भूमि के नये खसरा सं. 4668/3 रकबा 0.2427 हैक्टयर है। अप्रार्थी सं. 1के भाई लादूराम की बंटसुदा भूमि खसरा सं0 4668/2 व लालूराम की बंटसुदा भूमि खसरा सं0 4668/3 की ऑनलाईन नक्शे में की गयी तरमीम गलत की गयी जबकि अप्रार्थी सं. 1 की बंटसुदा भूमि खसरा सं. 4668 की तरमीम ऑनलाईन नक्शे में जहां खसरा सं. 4668/1 की तरमीम की गयी उस स्थान पर की गयी।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम बिलाडा चक 3 तहसील बिलाडा में स्थित भूमि खसरा सं. 4668/1 रकबा 0.5016 हैक्टयर व खसरा सं. 4668 रकबा 0.2427 हैक्टयर की ऑनलाईन नक्शे में की गयी गलत तरमीम को दुरूस्त कर सही तरमीम खसरा सं. 4668/1 रकबा 0.5016 हैक्टयर की प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में अंकित मार्क ए.बी.सी. डी.के अनुसार व खसरा सं0 4668 रकबा 0.2427 हैक्टयर की प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में अंकित मार्क सी.डी.ई. एफ. के अनुसार दुरूस्त की जावे, इस हेतु अप्रार्थी सं. 1 सहमत है।

अप्रार्थी सं0 2 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिलाडा चक की स्थायी जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के अनुसार खसरा सं. 4668/1रकबा 0.5016 हैक्टयर भूमि प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। ग्राम बिलाडा की स्थायी जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के अनुसार खसरा सं0 4668 रकबा 0.2427 हैक्टयर भूमि अप्रार्थी सं. 1 के नाम खातेदारी दर्ज है। ग्राम बिलाडा चक 3 के नामान्तरकरण सं. 2253 दिनांक 25.11.1978 से खसरा सं. 4668 रकबा 6 बीघा 05 बिस्वा का बंटवाडा मोहनराम के नाम खसरा सं. 4668 मी. रकबा 3 बीघा तथा ढगलाई के नाम खसरा सं. 4668 रकबा 3 बीघा 03 बिस्वा भूमि दर्ज होकर स्वीकार हुआ। इसके पश्चात मोहनराम के नाम रकबा 3 बीघा 02 बिस्वा भूमि का बंटवाडा का नामान्तरकरण सं. 7186 दिनांक 06.12.2012 बीजाराम के खसरा सं0 4668/2 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा लालूराम के खसरा सं0 4668/3 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा तथा लादूराम के नाम 4668/4 रकबा 0.03 बीघा दर्ज हुए, नामान्तरकरण सं. 7168 की पुस्त पर बंटवाडा का नजरी नक्शा अंकित है ग्राम बिलाडा चक 3 के नामान्तरकरण सं. 7186 की पुस्त पर अंकित नजरी नक्शा अनुसार 4668 अन्य खातेदार के खसरा सं0 4668/1 रकबा 0.5016 हैक्टयर(प्रार्थीगण की खातेदारी का) तथा नक्शा अनुसार बींजाराम के खसरा नंबर 4668 रकबा 0.2427 हैक्टयर दर्ज किया जाने के आदेश पारित किये जाते है तो जवाब देहन्दा को कोई आपति नहीं है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत किया गया जवाब एवं मौका निरीक्षण रिपोर्ट पर मनन एवं अध्ययन किया गया। जिससे विदित होता है कि ग्राम बिलाडा चक 3 में स्थित खसरा नंबर 4668/1 के रेकर्डेड खातेदार है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर उक्त विवादित भूमि राजस्व जमाबंदी संवत् 2031-2034 के अनुसार पूर्व में खातेदार मोहनराम व ढगलाई के नाम राजस्व रेकर्ड इन्द्राज थी। खातेदार मोहनराम व खातेदार ढगलाई के मध्य आपसी सहमति से बंटवाडा किया गया जिसकी पुष्टि नामान्तरकरण सं0 2253 से की गई। खातेदार ढगलाई द्वारा अपनी बंटसुदा भूमि

खसरा सं. 4668 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा का बैचान भंवरलाल पुत्र मोतीराम को की गई। इसी प्रकार भंवरलाल पुत्र मोतीराम द्वारा खसरा सं0 4668 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा को जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा प्रार्थीगण को प्राप्त हुई। मोहनराम के नाम रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा भूमि का बंटवाडा का नामा. सं. 7186 दिनांक 06.12.2012 बींजाराम के खसरा सं. 4668/2, लालूराम के खसरा सं0 4668/3 व लादूराम के खसरा सं0 4668/4 दर्ज हुए, जिसकी पुष्टि नामा.सं. 7186 की पुस्त पर बंटवाडा का नजरी नक्शा से हुई। तहसीलदार बिलाडा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार अगर नामा. सं. 7186 की पुस्त पर अंकित नजरी नक्शा अनुसार आदेश पारित किये जाते है तो तहसीलदार बिलाडा द्वारा कोई आपति नहीं बताई गयी। बिलाडा चक 3 पटवारी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में भी नामा. सं. 7186 की पुश्त पर अंकित नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किया जना अपेक्षित बताया गया। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा भी जवाब पेश कर प्रार्थीगण के अनुसार तरमीम किये जाने हेतु सहमति प्रदान की है। ऑनलाईन नक्शे में उक्त खसरान की गलत तरमीम को दुरूस्त किया जाना उचित है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है कि वो ग्राम बिलाडा चक सं. 3 तहसील बिलाडा के खसरा सं. 4668/1 रकबा 0.5016 हैक्टयर व खसरा सं. 4668 रकबा 0.2427 की तरमीम तहसीलदार बिलाडा द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के साथ संलग्न नामा.सं. 7186 की पुस्त पर अंकित नजरी नक्शा में वर्णितानुसार दुरूस्त कर शीघ्र से शीघ्र न्यायालय के समक्ष पेश करे। नामा. सं. 7186 की पुस्त पर अंकित नजरी नक्शे को इस निर्णय का भाग समझा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक [illegible] को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा